भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4330

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: नकली बीज और उर्वरक

4330. श्री भजन लाल जाटवः

श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजस्थान में उर्वरकों और बीजों में बड़े पैमाने पर मिलावट के मामले सामने आए हैं, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और बीज अधिनियम, 1960 के तहत ऐसी अनियमितताओं की जांच के लिए कोई स्वतंत्र जांच की गई है या कोई केंद्रीय निरीक्षण दल भेजा गया है या सरकार द्वारा कोई अनुदेश जारी किए गए हैं, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान टोंक जिले में उर्वरकों और बीजों के कुल कितने नमूनों की जाँच की गई और उनमें से कितने नमूने निम्न स्तर के पाए गए और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त नकली बीजों और उर्वरकों की आपूर्ति करने वाली फर्मों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई राहत या मुआवजा योजना चला रही है, और यदि हां, तो अब तक कितने किसानों को राहत प्रदान की गई है और उन्हें कुल कितनी मुआवजा राशि वितरित की गई है तथा तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (एफसीओ) को क्रियान्वित कर रही है। इसी प्रकार, बीज अधिनियम 1966, बीज नियम, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 बाजार में बिकने वाले बीजों की गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं। एफसीओ के अंतर्गत, राज्य सरकारें ही प्रवर्तन प्राधिकारी हैं जिन्हें उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई

करने का अधिकार है। इसी प्रकार, बीज नियंत्रण आदेश और बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत राज्य सरकारों को इसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। तदनुसार, राज्य प्राधिकारी आवश्यक वस्तु अधिनियम या बीज अधिनियम, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

सरकार समय-समय पर राज्यों को उर्वरकों और बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश देती है। बीज अधिनियम/आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कानूनी और नियामक प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को परामर्श जारी किए जाते हैं। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को सही जगह पर सही समय पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सरकार, मंत्रालय के अधीन केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान नामक केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से निरीक्षण, नमूने लेना और परीक्षण करके स्वतः आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई भी करती है, और राज्यों को चूककर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी करती है।

अप्रैल, 2025 से 8 अगस्त, 2025 की अवधि के दौरान, राजस्थान में 10423 छापे मारे गए, 853 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 54 लाइसेंस निलंबित/रद्द किए गए और 53 चूककर्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गईं। जुलाई, 2025 के माह के दौरान, केंद्रीय टीम द्वारा राजस्थान राज्य के अलवर और भरतपुर नामक दो जिलों में उर्वरक संबंधी मुद्दों की जाँच के लिए दो निरीक्षण किए गए। यह प्रवर्तन कार्रवाई एफसीओ के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी प्रकार के उर्वरकों, जैसे रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, जैव-उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव-उत्तेजक, किण्वित जैविक खाद, तरल किण्वित जैविक खाद, नैनो उर्वरक, जल में घुलनशील उर्वरक, तरल उर्वरक, फोर्टिफाइड उर्वरक, अनुकूलित उर्वरक आदि, के लिए की जाती है।

(घ) से (च): उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जैसे प्राधिकरण पत्र रद्द करना या निलंबित करना, और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तीन महीने से सात साल तक की कैद की सजा। बीज अधिनियम, 1966 में पहली बार अपराध करने पर ₹500 का जुर्माना और उसके बाद के अपराधों के लिए 6 महीने तक की कैद या ₹1000 का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हालाँकि, मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है।

पिछले दो वर्षों के दौरान, टोंक जिले में उर्वरकों के 424 और बीजों के 437 नमूनों की जाँच की गई। इनमें से उर्वरकों के 46 और बीजों के 13 नमूने अमानक पाए गए। राज्य सरकार ने इस पर कार्रवाई की है। परिणामस्वरूप, उर्वरकों से संबंधित 7 और बीजों से संबंधित 7 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

*****